

# भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-62/2017-18

| आदेश की तिथि | आदेश  | आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ |
|--------------|---|---|
| 01.08.2017   | <p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। सुनवाई की अगली तिथि 20.09.2017 को रखें।<br/>अभिलेख दिनांक 20.09.2017 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;"><i>Devi</i><br/>1-8-17<br/>भूमि सुधार उपसमाहर्ता<br/>पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>  |   |
| 20.09.2017   | <p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। सुनवाई की अगली तिथि 16.10.2017 को रखें।<br/>अभिलेख दिनांक 16.10.2017 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;"><i>Devi</i><br/>20-9-17<br/>भूमि सुधार उपसमाहर्ता<br/>पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>   |   |
| 16.10.2017   | <p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। सुनवाई की अगली तिथि 11.11.2017 को रखें।<br/>अभिलेख दिनांक 11.11.2017 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;"><i>Devi</i><br/>16-10-17<br/>भूमि सुधार उपसमाहर्ता<br/>पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>  |   |
| 11.11.2017   | <p>आवेदक श्री/श्रीमती <b>तुरी बोदरा</b>, पिता/पति <b>स्व० लखन बोदरा</b>, ग्राम-वार्ड नं०-8, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा-वार्ड नं०-08, थाना नं०-68, खाता नं०-06, प्लॉट नं०-19, रकवा-0.10 डी०, क्रेता श्री/श्रीमती-सकारी गागराई, पिता/पति-सोमाय गागराई, ग्राम-वार्ड नं०-08, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इशतेहार किया गया। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक I-2/2017-878, दिनांक 31.10.2017 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।</p> <p>जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक/आवेदिका- <b>तुरी बोदरा</b>, पिता/पति <b>स्व० लखन बोदरा</b> के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास <b>5,00,000/- (पाँच लाख)</b> रूपये में बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि हाल सर्वे खतियान में इन्दाय कोलिन, पति डोमन हो व रामराई हो पिता हाड़ी हो के नाम पर दर्ज है। विक्रेता खतियानी रैयत का पौत्र है। जमाबन्दी पंजी 11 में खतियानी रैयत के नाम लगान कायम है। आम इशतेहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>विक्रेता एवं क्रेता अंचल एवं थाना-चक्रधरपुर के निवासी हैं तथा "हो" (अ०ज०जा०) समुदाय के सदस्य हैं। विक्रेता उक्त वर्णित भूमि निजी कार्य हेतु बेचना चाहते हैं। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि उक्त विक्रय भूमि कृषि योग्य भूमि नहीं है। प्रश्नगत भूमि के बिक्री के पश्चात विक्रेता को जीविकोपार्जन हेतु रकवा-2.06 ए० भूमि अवशेष के रूप में बचती है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन, आम इशतेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने तथा अनुशंसा के आलोक में आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता श्री/श्रीमती-सकारी गागराई, पिता/पति-सोमाय गागराई, ग्राम-वार्ड नं०-08, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के पक्ष में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(i)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत उक्त भूमि हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी जाती है।</p> <p style="text-align: right;">लेखापित<br/><i>Devi</i><br/>11-11-17<br/>भूमि सुधार उपसमाहर्ता<br/>पोड़ाहाट, चक्रधरपुर</p> <p style="text-align: right;"><i>Devi</i><br/>11-11-17<br/>भूमि सुधार उपसमाहर्ता<br/>पोड़ाहाट, चक्रधरपुर</p> |   |